XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पण तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व (वासगीत पर्चा) पुनरीक्षण वाद संख्या–72/08

धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0

1. सीताराम दास, पिता–स्व0 महादेव मंडल, साकिन–जियागच्छी, थाना–सदर मुफ्स्सिल, जिला–पूर्णियाँ– आवेदक

बनाम्

1. सुनील कुमार मंडल
2. शंकर मंडल
3. दुर्गा मंडल, पिता–स्व0 होली मंडल, साकिन–जियागच्छी, थाना–सदर मुस्सिल, जिला–पूर्णियाँ– विपक्षी

आ दे श

यह पुनरीक्षण वाद इसी न्यायालय के पुनरीक्षण वाद संख्या–24/95 एवं 87/02 के विरूद्ध दायर किया गया है। ये सभी वाद अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या–23/74–75 में निर्गत वासगीत पर्चा के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदन का कथन है कि माननीय न्यायालय उसके पक्ष को बिना सुने ही वाद खारिज कर दिये। साथ ही उनका कहना है कि वासगीत पर्चा उसके सहधारक (Coparcenery) को निर्गत किया गया है, जबकि विपक्षी प्रश्रय प्राप्त के श्रेणी में नहीं आते है। साथ ही प्रस्तावित जमीन जिसका वासगीत पर्चा निर्गत है, उस पर मकानमय सहन ना होकर लीची का बगान है। आवेदक श्री सीताराम दास द्वारा धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 के अन्तर्गत विपक्षी के नाम से निर्गत वासगीत पर्चा रद्द करने हेतु आवेदन दिया गया है।

विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी का कहना है कि आवेदक के द्वारा इस वाद से संबंधित पूर्व में भी पुनरीक्षण वाद दायर किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। विपक्षी का यह भी कहना है कि यदि पर्चा सहधारक (Coparcenery) को निर्गत किया गया है तो आवेदक को सिविल कोर्ट में अपील करना चाहिए। प्रस्तावित जमीन आर0एस0 खतियान में मो0 तारा देवी के नाम से वासगीत पर्चा दर्ज है। साथ ही सन् 1956 से पहले पिता के सम्पत्ति में पुत्री का हिस्सा नहीं होता था। अतः मो0 तारा देवी सहधारक (Coparcenery) के श्रेणी में नहीं आते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं को दिनाक 26.07.2010 को सुना गया एवं दिनांक 29.11.2010 को न्यायालय में विचार किया गया। सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं इस न्यायालय में

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे में टि तारीख सहित
1	2	3
	पूर्व से पारित आदेश में किसी तरह की प्रक्रियात्मक गलती प्रतीत नहीं होती है। निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित । समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	